उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–65/2002–03

पंचानंद दत्ता

बनाम्

सरकार

–: आदेश :–

दिनांक 5/1/24

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता पंचानंद दत्ता, पि0–स्व0 सिंघेश्वर प्र0 दत्ता, सा0–रौतारा वार्ड नं0–01, होल्डिंग नं0–79/J, गोड्डा नगर पालिका, थाना–गोड्डा टाउन, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–123/2001–02 के आदेश दिनांक–23.08.2002 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–123/2001–02 के आदेश दिनांक–23.08.2002 के द्वारा मौजा–रौतारा के जमाबंदी सं0–23, दाग नं0–357 रकवा 00–01–10 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, गोड्डा ने पत्रांक–486/रा0 दिनांक–04.09.2001 के द्वारा मौजा–रौतारा के जमाबंदी सं0–23, दाग नं0–357 के संबंध में प्रतिवेदन देते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन उक्त प्रतिवेदन में दाग नं0–357 का पूरा रकवा अंकित नहीं किया गया था। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आर0ई0आर0 केश नं0–123/2001–02 प्रारम्भ किया गया एवं अपीलकर्त्ता को नोटिश निर्गत किया गया। लेकिन उक्त नोटिश में भी दाग नं0–357 के अन्दर रकवा 00–01–10 धुर जमीन जिसमें अपीलकर्त्ता का आवासीय मकान बना हुआ है एवं उसमें अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास कर रहे हैं, का चौहदी अंकित नहीं किया गया। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश अस्पष्ट एवं नियमानुकूल नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के पिता को उक्त जमीन वर्ष 1936 ई0 में जमाबंदी रैयत नव कुमार दास के द्वारा कुर्फा बंदोवस्ती के द्वारा दिया गया है एवं उनके तीन पुत्र प्रयाग नारायण दास, बसंत कुमार दास एवं

जगदीश दास के द्वारा शपथ पत्र देकर अपीलकर्त्ता के दावे का समर्थन किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा कुर्फा कागजात के साथ हिन्दी अनुवादित कुर्फा की प्रति भी दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर बरामदा के साथ 06 कमरे का मकान, रसोईघर, शौचालय, पक्का दिवाल, बजरंगबली का मंदिर एवं मुख्य सड़क से अपीलकर्त्ता के मकान तक पी0सी0सी0 सड़क से जोड़ा गया है तथा अपीलकर्त्ता सरकार को होल्डिंग टेक्स एवं बिजली बिल का भुगतान किया जाता है और अपीलकर्त्ता को पानी का कनेक्शन भी दिया गया है। इस प्रकार उक्त जमीन पर मकान अवस्थित होने के कारण जमीन का प्रकृति कृषि भूमि से आवासीय मकान में परिवर्तित हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का भी नियमन है कि आवासीय मकान से उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता सेवा निवृत सरकारी सेवक है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन पर मकान बनाने में अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है एवं उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है तथा उनका उम्र 94 वर्ष है और अपीलकर्त्ता का मकान खाली हो जाएगा तो वे बेघर हो जाएगें। इसलिए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–रौतारा, जमाबंदी सं0–23, दाग नं0–357 गत सर्वे खतियान में बसंत कुमार दास के नाम से दर्ज है। दाग, नं0–357 पर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ है, जिसमें अपीलकर्त्ता सपरिवार निवास करते हैं। उक्त वाद में जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उच्छेद करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को आवेदन नहीं दिया गया था। अपीलकर्त्ता के द्वारा इस वाद के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में रिट याचिका एवं एल0पी0ए0 दाखिल किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा खारिज कर दिया गया है। उनका आगे मंतव्य है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–रौतारा नं0–372, जमाबंदी सं0–23 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में नव कुमार दास वल्द कुँज बिहारी लाल दास कौम कायस्थ शा0 देह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमाबंदी के

अन्तर्गत दाग नं0–357 के अंदर रकवा 00–01–10 धुर जमीन कुर्फा बंदोवस्ती से वर्ष 1936 ई0 में प्राप्त करने का दावा किया गया है। यद्यपि कि अपीलकर्त्ता के द्वारा दावा किया गया है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता का आवासीय मकान है एवं अपीलकर्त्ता उसपर सपरिवार निवास करते है तथा सरकार को जमीन का होल्डिंग टेक्स एवं मकान का बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार उक्त जमीन जमाबंदी के अन्तर्गत के कृषि योग्य जमीन है एवं चूँकि अपीलकर्त्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर रिट याचिका एवं एल0पी0ए0 को खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–123/2001–02 में दिनांक–23.08.2002 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।
25/01/24

उपायुक्त,
गोड्डा।
25/01/24

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.06.27 16:24:35 +05:30
Location: 192.168.1.50